



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15112022-240267
CG-MH-E-15112022-240267

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5041]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 14, 2022/कार्तिक 23, 1944

No. 5041]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 14, 2022/KARTIKA 23, 1944

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्र

(ई-गजट अधिसूचना संख्या 238895 दिनांक 16.09.2022 के संबंध में, नीचे उल्लिखित

अनुच्छेद को पिछली अधिसूचना में सही विवरण के रूप में माना जायेगा)

मुंबई, 14 नवम्बर, 2022

का.आ. 5260(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11वा) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20'क' की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (II) तारीख 26 अक्टूबर 2021 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल्वे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 4509 (अ) तारीख 25 नवम्बर 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है, द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, **वर्धा (सेवाग्राम) - बल्लारशाह तीसरी रेल्वे लाइन** के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् "प्रतापगड चे वारे" व "विदर्भ रंग" में तारीख 07 जून, 2022 को प्रकाशित किया गया था।

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और उन पर विचार किया गया है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गये हैं।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इस से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में हिंगणघाट-नगरी खंड के 2 गावों का, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उप जिला अधिकारी (भूसंपादन) विदर्भ पटबंधरे विकास महामंडल, वर्धा के अधीन विशेष रेल परियोजना “वर्धा (सेवाग्राम) - बल्लारशाह तीसरी रेलवे लाइन” के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ. क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 के अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या.	भू खंड क्र.	भू धारणा पद्धति	7/12 के अनुसार कुल क्षेत्र (हे. आर. /चौ.मी.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर. /चौ.मी.)	संपादन क्षेत्र (हे. आर.)
10	70/LAQ-47/21-22	पिपलगाव	हिंगणघाट	भगवान शंकरराव बोरकर, माला भगवान बारेकर	136/4	43	1	180.00 चौ. मी	16.00 चौ. मी.	0.0016

[फा. सं. G197/2022/GOM/WR-BPQ/शुद्धिपत्र-238895]

मनोज शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)